संख्या : 2667/26–3–2010–4(358)/07–टी0सी0–III

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–3

लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2010

विषय शैक्षिक सत्र 2010–11 में प्रदेश में वितरित की जा रही समस्त छात्रवृत्तियों का निर्धारित समयान्तर्गत वितरण सुनिश्चित कराने हेतु संशोधित दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2029/26–3–2009, दिनांक 9 जून, 2009 एवं शासनादेश संख्या–1668/26–3–2010, दिनांक 29 अप्रैल, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के वर्ष 2010–11 में वितरण के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

(1) पूर्वदशम् छात्रवृत्ति का वितरण दो किश्तों के स्थान पर एक किश्त के माध्यम से ही किया जायेगा एवं छात्रों को सम्पूर्ण धनराशि एक किश्त में ही प्रदान की जायेगी। इस सम्बन्ध में वितरण से पूर्व सभी छात्र/छात्राओं का समस्त विवरण पूर्ण कराते हुए सभी अभिलेखों एवं कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों को पूर्ण कराया जायेगा एवं उसकी जॉच शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा की जायेगी एवं आवश्यक सत्यापन समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग द्वारा कराने के उपरांत ही धनराशि के वितरण की अनुमति प्रदान की जायेगी। छात्र/छात्राओं का डाटा तैयार कराने एवं उसकी फीडिंग कराने आदि में पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। पूर्वदशम छात्रवृत्ति के वितरण हेतु निम्न व्यवस्था की जाती है:–

> ''कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों (पूर्व में पढ़ रहे छात्रों हेतु) को माह जुलाई से सितम्बर तक तथा कक्षा 9 एवं 10 के एवं नये प्रवेशित छात्रों हेतु अक्टूबर से दिसम्बर के मध्य वितरण सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु बजट की 70 प्रतिशत धनराशि त्रैमास अर्थात जुलाई से पूर्व अवमुक्त की जाय तथा अवशेष 30 प्रतिशत धनराशि माह सितम्बर–अक्टूबर में अवमुक्त की जाय।''

(2) दशमोत्तर छात्रवृत्ति के संबंध में शासनादेश सं0–2029/26–3–2009, दिनांक 09 जून, 2009 के प्रस्तर–3(अ) IV के अंतर्गत गत् वर्ष वितरित की गयी धनराशि के 40 प्रतिशत धनराशि के अग्रिम आहरण की व्यवस्था की गयी है। विगत वर्ष के अनुभव के आधार पर 40 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत धनराशि के अग्रिम आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है।

2— इस प्रकार पूर्वदशम छात्रवृत्ति का वितरण एक किश्त में तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति का वितरण दो किश्तों में पूर्व की भांति सुनिश्चित किया जायेगा। शासनादेश संख्या—2029/26—3—2009, 09 जून, 2009 एवं शासनादेश संख्या—1668/26—3—2010, दिनांक 29 अप्रैल, 2010 की अन्य व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—ई—3—1214/दस—2010, दिनांक 14 जुलाई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या : 2640 (1)/26—3—2009 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2— प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4— प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग/पंचायती राज/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5— प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6— महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7— निदेशक, समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्प संख्यक कल्याण/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/पंचायती राज, उ0प्र0।
8— निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
9— निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
10— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11— मुख्य महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ।
12— मुख्य शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, जवाहर भवन शाखा, लखनऊ।
13— समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0।
14— समस्त जनपदीय विभागीय अधिकारीगण, उ0प्र0।
15— राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0।
16— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3
17— गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव।